

अति आवश्यक  
तिथिबद्ध

क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

Office  
No. 16373  
Date 2/8/19

Date Bound  
2-9-2019

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

Reminder  
2-9-2019

सेवा में

1  
2  
3  
4  
5

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।  
आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।  
रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।  
सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा  
सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

Rec Busy  
File  
2-9-19

दिनांक, चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2019

विषय:- नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019 तथा दिनांक 12-07-2019 की ओर दिलाऊँ कि सरकार द्वारा वांछित सूचना आप की ओर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2019 तक) (मासिक तौर पर) 16-08-2019 तक संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को भिजवाने का कष्ट करें तथा इसके साथ-साथ उपरोक्त सूचना कार्यालय के ई-मेल [ngiscs2013@gmail.com](mailto:ngiscs2013@gmail.com) पर तुरन्त भिजवाएं ।

Signature

अवर सचिव, प्रोटोकॉल  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

LABOUR COMMISSIONER HARYANA CHANDIGARH

Endst No. Actt/2019/ 23897-948

Dated: 7-8-19

Reminder  
REMINDER  
(2-9-19)

इसकी एक प्रति श्रम हरियाणा के सभी डी.डी.ओ को भेजकर सूचित किया जाता है कि मांगी गई सूचना प्रफोर्म में दिनांक 13.08.2019 तक मुख्यालय में आवश्यक भेजे, ताकि रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा को भेजी जा सके। देरी के लिए सम्बन्धित डी.डी.ओ जिम्मेवार होंगे।

1. Presiding Officer Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ambala, Panipat, Rohtak, Faridabad-I/II/III, Gurgaon-I/II and Hissar.
2. Addl. Labour Commissioner, (NCR) Gurgaon.
3. Dy. Labour Commissioner, Panipat, Panchkula, Faridabad, Gurgaon-I&II, Hisar and Rohtak.
4. Dy. Director (IS&H) Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon-I and Hisar.
5. Assistant Labour Commissioner, Ambala, Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Rewari, Sonapat-I, Bahadurgarh, Bhiwani, Sirsa, Palwal, Kaithal, Jind and Mewat.
6. Assistant Director, (Industrial Safety and Health), Yamunanagar-I, Kurukshetra, Karnal, Mewat, Rewari, Sonapat-I, Rohtak, Bhiwani & Sirsa
7. Dy. Director (Industrial Health), Faridabad and Gurgaon-II
8. AD(IH cum C.S), Ambala, Panipat, Faridabad, Gurgaon and Hissar.
9. Accounts branch for uploading on department site.

Accounts Officers  
for Labour Commissioner Haryana

P. TO

Name of Department -

Sr. No.	Month/Year	Total number of Government Class IV employees (H.O. & Field Consolidated)	Total amount of Book Transfer per month (under Major Head 2235 of GIS)	Remarks

Note: Please give specific reason, why the deduction is not being done properly.

Aug